



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 17.05.2026

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना मटौंध पुलिस द्वारा कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले एक अन्य 10 हजार रुपए के इनामियां वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.05.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले 01 अन्य 10 हजार रुपए के इनामियां वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खुटला निवासी देबिया पुत्र चैतुवा द्वारा दिनांक 12.02.2026 को थाना मटौंध पर सूचना दी गई कि दिनांक 06.08.2025 को उनकी जमीन को कुछ लोगों द्वारा योजना बनाकर कूटरचित दस्तावेजों व आधार कार्ड का प्रयोग कर उनकी हटेटी पुरवा की लगभग 34 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बिजली खेड़ा निवासी आजम खान के नाम कर दी । जिसके सम्बन्ध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत करते हुए थाना मटौंध पुलिस द्वारा पूर्व में ही 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । घटना मे शामिल अन्य अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 17.05.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा एक अन्य 10 हजार रुपए के इनामियां वांछित अभियुक्त को गोयरा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अयूब खां पुत्र सरदार खां निवासी गुगौली थाना चिल्ला, बांदा । हाल पता- बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

### **पंजीकृत अभियोग-**

- मु0अ0सं0 29/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)340(2)/352/351(3)/61(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त अयूब खान उपर्युक्त-**

1. मु0अ0सं0 89/90 धारा 325 भादवि थाना चिल्ला जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0 107/96 धारा 324/323/504/506 भादवि थाना चिल्ला जनपद बांदा ।
3. मु0अ0सं0 80/05 धारा 110 जी0 सीआरपीसी थाना चिल्ला जनपद बांदा ।
4. मु0अ0सं0 111/05 धारा 323/504/506 भादवि व 131(2)/135 लोक परीक्षा अधि0 थाना चिल्ला जनपद बांदा ।
5. मु0अ0सं0 112/05 धारा 9,39,40,50,51 व 56 भारतीय वन्य जीव अधि0 थाना चिल्ला जनपद बांदा ।
6. मु0अ0सं0 248/07 धारा 498A/323/504/506 भादवि थाना चिल्ला जनपद बांदा ।
7. मु0अ0सं0 671/23 धारा 504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

### **पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. राजेश पुत्र मोहनलाल निवासी खाईपार हाल पता बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा । (मुख्य अभियुक्त व ₹25 हजार का इनामी)
2. विजय प्रकाश पुत्र धर्मनारायण निवासी पिथरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट । (चकबंदी लेखपाल)

3. श्रीराम पुत्र राजकुमार निवासी करछा थाना मटौंध जनपद बांदा । (फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला)
4. हरीकरन पुत्र नत्थू निवासी करछा थाना मटौंध जनपद बांदा । ( ₹25 हजार का इनामी)
5. आजम खान पुत्र अयूब खान निवासी बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा । (फर्जी जमीन खरीददार)
6. भागवत प्रसाद उर्फ बबलू पुत्र विष्णु निवासी जौरही थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा । (फर्जी गवाह)
7. दिलीप पुत्र इन्द्रपाल निवासी लुकतरा थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा । (फर्जी गवाह)
8. रज्जू उर्फ नेमकुमार पुत्र मूलचन्द्र निवासी गोड़ी बाबा खुटला थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
9. अनिल कुमार पुत्र रामकेश निवासी पिपरगवां थाना तिंदवारी जनपद बांदा ।
10. खेमराज उर्फ सन्तोष पुत्र राजा भइया निवासी इटवां थाना मटौंध जनपद बांदा
11. केदार पुत्र शिवनंदन निवासी इंटवा थाना मटौंध जनपद बांदा ।
12. रिजवान खान पुत्र जमाल खान निवासी जरैली कोठी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना मटौंध श्री दीपेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री विकास नेहरा
3. म0उ0नि0 सृष्टि नगाइच
4. कां0 पुष्पेन्द्र कुमार
5. रि0कां0 विकाश यादव